छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 01 /वि.स./सू.शा./2018 रायपुर, दिनांक 01.10.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कार्य हेतु वर्ष 2019–2020 की अवधि के लिए फोटोग्राफर एवं विडियोग्राफर को सूची बद्ध किया जाना है ।

उक्त कार्य करने के इच्छुक फर्म्स/ व्यक्ति अपने कार्य अनुभव के साथ–साथ फोटोग्राफ/ विडियोग्राफ की गुणवत्ता एवं दरें सील बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को अपरान्हः 3.00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं । निविदा की शर्तें कार्यालयीन दिवस में 11.00 से 5.00 बजे तक कार्यालय समय पर सूचना शाखा एवं विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं ।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा । निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार सचिव, विधान सभा को होगा ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

विधान सभा सचिवालय

फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी हेतु शर्ते.

1. निविदा में फोटोग्राफी हेतु पासपोर्ट, पोस्टकार्ड, 5'' x 7'', 6'' x 8'', 8'' x 10'', 10'' x 12'', 12'' x 15'', 12'' x 24'', 12'' x 36'', 15'' x 20'', 20'' x 25'', 24'' x 30'', आकार के छायाचित्रों एवं स्केन से प्रिंट की ओरिजनल प्रिंट एवं रीप्रिंट की दरों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें.
2. फोटोग्राफर को कार्यक्रम की सूचना देने पर कार्यक्रम स्थल पर 30 मिनिट में उपस्थित होना होगा. .
3. कार्यक्रम के कव्हरेज के बाद समाचार–पत्रों में जारी किये जाने वाले छायाचित्र तत्काल अनुमोदन उपरांत सर्वर रूम में लोड करना होगा. शेष सभी छायाचित्र/ सी.डी/ डी.वी.डी. कार्यक्रम के अगले दिन उपलब्ध कराना होगे.
4. आवश्यकता पड़ने पर फोटोग्राफ के रीप्रिंट भी तत्काल उपलब्ध कराना होगा.
5. प्रत्येक कार्यक्रम कव्हरेज के बाद उसके सी.डी. एव ओरिजनल कैसेट/सी.डी./डी.वी.डी. संबंधित संस्था को नम्बरिंग कर संभालकर रखना होगा जिससे आवश्यकतानुसार उन छायाचित्रो के रीप्रिंट तैयार कराये जा सकें .
6. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के लिए रायपुर में किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा.
7. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के लिए संबंधित फर्म/ व्यक्ति को स्वंय के वाहन से कव्हरेज स्थल पर पहुंचना होगा .
8. विडियोग्राफी के लिए दरें वी.एच.एस./ डिजीटल कैमरे/ बीटा कैमरे से न्यूनतम 8 घंटे की विडियोग्राफी करना होगा.
9. कार्यक्रम कव्हरेज के बाद ओरिजनल कैसेट/ सी.डी./ डी.वी.डी. संबंधित संस्था को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार सी.डी. बनाकर प्रदाय करना होगा .
10. फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी के बाद किसी भी फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी के अंश बिना विधान सभा सचिवालय की अनुमति के प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया या अन्य को देने पर प्रतिबंध रहेगा .
11. विधान सभा सचिवालय तथा विधान सभा अध्यक्ष के कार्यक्रमो के समस्त फोटोग्राफ सी. डी. सहित एवं विडियो सी.डी./ डी.वी.डी. का सर्वाधिकार विधान सभा सचिवालय के पास रहेगा.
12. छायाचित्रों की सभी सी.डी/ डी.वी.डी. उच्च स्तर की होनी चाहिए .
13. आगामी अनुबंध होने तक संबंधित संस्था को इन्ही दरो पर कार्य करना होगा.
14. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबंध किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विधान सभा सचिवालय के पास रहेगा
15. छायाचित्रों/ विडियोग्राफी की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए .
16. विभिन्न अवसरों पर सचिवालय मे होने वाले समूह छायाचित्रों के लिए उच्च तकनीक युक्त फोटो कैमरा होनां चाहिए.
17. कार्यक्रम स्थल पर फोटोग्राफर/ विडियोग्राफर के विलंब से पहुंचने एवं फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी की गुणवत्ता उच्च स्तरीय नही होने पर अनुबध कभी भी रद्द किया जा सकेगा
18. फोटोग्राफ के साथ छायाचित्रों की सी.डी. भी विधान सभा सचिवालय की सूचना शाखा को आवश्यक रूप से देना होगा.
19. शासकीय विभाग में कार्य का लगभग 05 वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है ।